फैक्स / मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड

PWD Uttarakhand

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: eicpwduk@nic.in **Web-http://govt.ua.nic.in/pwd**

पत्रांक 636/06 [illegible]/15 देहरादून, दिनांक 06 अप्रैल, 2015

: कार्यालय ज्ञाप :

विभागाध्यक्ष कार्यालय को संदर्भित किये जाने वाले पत्राचार में अधिकांश रूप से यह देखने में आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों यथा–अधिशासी अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा पदनाम के ऊपर हस्ताक्षर कर पत्र प्रेषित किये जा रहे है। जिससे यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि हस्ताक्षर किस अधिकारी के हैं। कतिपय प्रकरणों में यह भी संज्ञान में आया है कि नीतिगत एवं शिकायती से सम्बन्धित प्रकरणों में स्टाफ आफिसर द्वारा अथवा कृते कर प्रकरण संस्तुति सहित संदर्भित किये जा रहे है जो कि स्वच्छ कार्यप्रणाली का घोतक नहीं है।

अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि उच्च स्तर–शासन / विभागाध्यक्ष कार्यालय को संदर्भित किये जाने वाले पत्रों में पदनाम के साथ हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम अवश्य लिखा जाय। यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि मेल द्वारा प्रेषित किये जाने वाले समस्त पत्रों को स्कैन करने के उपरान्त ही प्रेषित करें। अतः यह आवश्यक है कि [illegible] कार्यालय में स्कैनर अनिवार्य रूप से स्थापित कर दिये जाय। ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भ्रम / असमंजस की स्थिति उत्पन्न न हो। भविष्य में बिना नाम / स्कैण्ड पत्रों पर अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

अतः उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मुख्य अभियन्ता, सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / आपदा / वर्ल्ड बैंक, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
2. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय) / समस्त अधीक्षण / अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / आपदा / वर्ल्ड बैंक / वि0 / यां0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / आपदा / वर्ल्ड बैंक / वि0 / यां0, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / वैयक्तिक अधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

प्रतिलिपि सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।

Scanned by CamScanner